

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

30/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीगण तथा  
पक्षकारान को प्रकरण में बार-बार भाषणों  
विलवाची गयी। न्यायालयी कार्य समष्टि को  
उक्त वकील प्राचीगण तथा पक्षकारान में से  
कोई भी दायिर अदालत नहीं आपा अल  
कार्यवाही प्रकरण अदालत दायिरी एवं अदालत  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा  
बार नमनील दाखिल दफ्तर हो। निगमि आपा  
दिनांक 30/3/2021 को खुले न्यायालय में खारिज  
गया।

(राफेश कुमार)

RAJ

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला